

क्रमांक एफ 15 (1) 2012 / कार्यालय-रहस्य / कार्यालय प्रधान मुख्य वन सहायक राजारामनाथ जयपुर / प्रमुपस / 10/1

दिनांक 18/2/14

पानर्जलय आदेश

यन विभाग के विकास एवं वन सुरक्षा संबंधित गतिविधियों में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होने से वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कार्य हेतु इस कार्यालय के आवेदक क्रमांक 8777 दिनांक 28.01.2013 द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक वर्किंग ग्रुप समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अपने रिपोर्ट में सुझाये गये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वन नण्डलों को आर्बटिड क्षेत्र अनुसार वनरक्षक के पदों का पुनर्निर्धारण एतद द्वारा किया जा रहा है। यह आर्बटिड इस कार्यालय के पूर्व आवेदक क्रमांक 15045 दिनांक 10.08.2012 एवं इसके उपरान्त समय समय पर वनरक्षकों के किए गए आर्बटिड इस कार्यालय के पूर्व आवेदक क्रमांक 15045 हुए अपेक्ष एतद द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। कार्यालयों को आर्बटिड पदों को आर्बटिड आदेशों को अधिलिखित (सुपरसीड) करते स्थानान्तरण/आर्बटिड किसी भी अवस्था में नहीं किया जावे। संबंधित कार्यालयप्रमुख द्वारा उक्त स्वीकृत पदों को आई.एफ.एम.एस में अपने स्तर से दर्शाये।

[illegible]





